लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका : प्रो. सारंगदेवोत

■ लोकतंत्र की मजबूती में शिक्षक की निर्णायक भूमिका अहम - प्रो. कैलाश सोडाणी

उदयपुर । देशहित की नीति ही वास्तविक राजनीति है और इतिहास साक्षी है कि स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक शिक्षकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा कई ने अपने प्राणों की आहुति भी दी। शिक्षक प्रजातंत्र में चरित्र, गौरवशाली संस्कृति और राष्ट्रगौरव को बनाए रखने वाले सच्चे संरक्षक होते हैं। शिक्षक वह माली है, जो राष्ट्र-रूपी बगिया को जीवन मूल्यों से सींचकर उन्नति का नया मार्ग प्रशस्त करता है। भारत में अनादिकाल से प्रजातंत्र रहा है।

उक्त विचार सोमवार को राजस्थान विद्यापीङ्ग विश्वविद्यालय की ओर से प्रतापनगर स्थित आईटी सभागार में कीर्तिशेष बीएस गर्ग स्मृति में प्रजातंत्र में शिक्षक की भूमिका विषय पर आयोजित चतुर्थ व्याख्यानमाला में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष प्रो. वासुदेव देवानानी ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम बने, स्वार्थ का नहीं। इस क्षेत्र में शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। शिक्षक राष्ट्र की आत्मा होते हैं, और समाज व देश में उत्पन्न चुनौतियों का समाधान भी उसी प्रकाश की किरण से निकल सकता है, जो एक शिक्षक से प्रस्फुटित होती है। बैंक लॉकर का उदाहरण देते हुए प्रो. देवनानी ने कहा कि दोनो चाबी होगी तक ही लॉकर खुलेगा, आपकी चाबी तो है कर्म करना, मैनेजर की चाबी है भाग्य - जब भाग्य और कर्म जब दोनो एक साथ मिलते है तो व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सफलता अपने आप मिल जाती है। उन्होंने वर्तमान सामाजिक बहसों और असहिष्णुता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का संविधान हमें एकता का संदेश देता है, इसलिए असहिष्णुता को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अच्छे राजनीतिज्ञ तैयार करने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों पर ही है। प्रो. देवनानी ने कहा कि तकनीकी युग में शिक्षकों को स्वयं को तकनीक से अद्यतन रखना चाहिए, ताकि वे विद्यार्थियों को तथ्यपरक, सटीक और संतुलित जानकारी प्रदान कर सकें। समारोह में अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा एवं प्रो. बीएस गर्ग के चित्र पर पुष्पांजली अर्पित कर किया। मुख्य वक्ता पुर्व कुलपति एवं राज्यपाल सलाहकार प्रो. कैलाश सोडाणी ने कहा कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने और उसे निरंतर मजबूती प्रदान करने के लिए शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, जिसके लिए उनका राजनीति में आना समय की मांग बन गया है। उन्होंने राजनीति में नौकरशाहों की बढ़ती सक्रियता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे जनप्रतिनिधिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रो. सोडाणी ने बदलते सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में शिक्षा जगत की चुनौतियों तथा शिक्षक की जिम्मेदारियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। प्रो. कैलाश सोडाणी ने लोकतंत्र में शिक्षक की महत्ता पर बोलते हुए सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक शिक्षक की भूमिका, उसके प्रभाव तथा बदलते स्वरूप का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए व विषयप्रवर्तन पर अपनी बात रखते हुए कुलपति प्रो. एस. एस. सारंगदेवोत ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा के मूल उद्देश्यों की पूर्ति के प्रति निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षक लोकतंत्र का वह सशक्त आधार है, जो कक्षा-कक्ष के माध्यम से राष्ट्र चेतना, चिंतन, जीवन-मूल्य और सामाजिक जागरूकता का बीजारोपण करता है। प्रो. सारंगदेवोत के अनुसार लोकतांत्रिक संस्कृति, संस्कार, मूल्य-बोध और ईमानदारी जैसे तत्व शिक्षक के माध्यम से ही विद्यार्थियों में विकसित होते हैं, जो आगे चलकर प्रजातंत्र की मूल भावना को मजबूती प्रदान करते हैं। यही मूल्य राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए मार्गदर्शक प्रकाश का कार्य करते हैं। उन्होंने प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण में शिक्षक की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने संस्थागत दायित्वों पर भी विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा संस्थानों का दायित्व है कि वे ऐसे वातावरण का निर्माण करें, जो विद्यार्थियों में जिम्मेदार नागरिकता और लोकतांत्रिक सोच को मजबूत करे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुल प्रमुख एवं कुलाधिपति बी एल गुर्जर ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और उसकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने में शिक्षकों की सहभागिता अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षको का सम्मान आजीवन होता है।

अति उत्कृष्ट सेवा मेडल से सम्मानित सिपाही और ख्यातीनाम अन्तराष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक का कृषि महाविद्यालय में सम्मान

उदयपुर, । महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संघटक राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर एवं पूर्व छात्र परिषद के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय सुरक्षा में युवाओं की भूमिका" विषयक व्याख्यान एवं सम्मान समारोह का आयोजन महाविद्यालय के कांफ्रेंस हॉल में किया गया। समारोह का शुभारम्भ करते हुये राजस्थान कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता एवं पूर्व छात्र परिषद् के मुख्य संरक्षक डॉ॰ मनोज महला ने कहा कि आज यह मंच देश के जाँबाज सिपाही और ख्यातीनाम अन्तराष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक का स्वागत एवं सम्मान करते हुये गौरवान्वित महसुस कर रहा है जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में इसी महाविद्यालय के पूर्व छात्र योगेन्द्र सिंह राङ्गौड पधारे हैं जिन्होने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में देश की और राजस्थान प्रदेश की 500 किलोमीटर लम्बी अन्तराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा का भार बखुबी अपने कन्धों पर उङ्गा रखा था, जिसके उपलक्ष्य में आपको अति उत्कृष्ट सेवा मेडल तथा पूलिस मेडल से सम्मानित किया गया गया है। यही नहीं राङ्गौड ने कारगिल युद्ध के दौरान आपरेशन विजय में उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर विजय मेडल प्राप्त किया। राङ्गौड ने चार बार पूरे देश की सीमा सुरक्षा बल दिवस परेड का नेतृत्व कर रखा है। समारोह के मुख्य वक्ता राङ्गौड ने आरसीए छात्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा में युवाओं की भागीदारी पर व्याख्यान देते हुये कहा कि दृढ निश्चय से आगे बढे एवं विफलता की परवाह न करें। महाविद्यालय के पूर्व छात्र, मेवाड के सपूत एवं कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि डॉ. एल.एस सारगंदेवोत तथा श्री बी.ए. महाजन ने कृषि में युवाओं को कृषि रोजगार में विपुल सम्भावनाओं पर प्रकाश डाला तथा भविष्य में युरोप एवं अमेरिका में उच्च अध्ययन के लिये छात्र एवं छात्राओं को अवसर तलाशने के लिये प्रेरित किया एवं अपनी तरफ से सहयोग का पूर्ण आश्वासन दिया। कार्यक्रम में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राङ्गौड की ऑपरेशन सिंदूर एवं कारगील युद्ध में दिखाये अपने शौर्य एवं पराक्रम की प्रशंसा की एवं युवाओं से प्रेरणा लेने का आव्हान किया। समारोह के दौरान बी.ए. महाजन, निदेशक, सतत कृशि संस्थान,नई दिल्ली, प्रेम सिंह शक्तावत, पूर्व पार्षद उदयपुर शहर, आरसीए पूर्व छात्र परिषद् के विशिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर राजस्थान कृषि महाविद्यालय के डॉ॰ एस.एस. लखावत, डा.अमित दाधिच, डॉ॰ एस.के. खण्डेलवाल, डॉ॰ विरेन्द्र सिंह, डॉ॰ डीपीएस डूँडी, डॉ. सिद्धार्थ मिश्रा तथा बडी संख्या में संकाय सदस्यों एवं छात्र-छात्राओं की सहभागिता रही।

कार्यालय उप वन संरक्षक,उदयपुर(उत्तर)

क्रमांक:-एफ( )स्टोर/लेखा/2025-26/12835 दिनांक-8.12.2025

निलामी निविदा सूचना संख्या -84/2025-26

सर्व साधारण विशेषकर नकारा/अनुपयोगी सामग्री क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय अधीन रेंज सायरा में राशि रू.72,950/- के नकारा एवं अनुपयोगी सामान की खुली बोली दिनांक 17.12.2025 को रेंज कार्यालय परिसर सायरा में दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक पुकरवाई जावेगी। इच्छुक क्रेता 2 प्रतिशत अमानत राशि रू. 1459/- जमा कराकर निलामी में भाग ले सकते है। जिसका विस्तृत विवरण वेब-साईट sppp.rajasthan.gov.in पर इस कार्यालय व रेंज सायरा में देखी जा सकती है।

NIB No. FOR2526A2772

UBN No. FOR2526SSOBO3683

(अजय चित्तौड़ा)
उपवन संरक्षक
उदयपुर (उत्तर)

कार्यालय नगर पालिका कपासन जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक:-न.पा.क./भूमि/2025-26/4118 दिनांक : 08-12-2025

(प्रारूप-10)

-: लोक सूचना:-

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि के निम्न खातेदारों/स्वामियोंद्वारा गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात :-

क्र. सं.	नाम आवेदन व खातेदार	जिले व तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल एवं प्रयोजन
1.	श्री ललित कुमार पिता श्री देवीलाल टांक निवासी कपासन श्री लोकेश पिता श्री गोवर्धन लाल कुमावत निवासी कपासन	तह.कपासन जिला चित्तौड़गढ़	कपासन	7719/5953 (0.0918 हैक्टेयर)	9877.68 वर्गफीट यानी 918 वर्गमीटर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है औरतदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक..... को जारी की गई।

प्राधिकृत अधिकारी
(अधिशाषी अधिकारी) नगर पालिका, कपासन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा कार्यालय: हिरण मगरी, सेक्टर-4, 803, कनिष्का जैन मंदिर के पास, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान 313001
फोन नं.: 8875006673, ई-मेल: hiranm@bankofbaroda.com

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी मैसर्स लक्ष्य इंजीनियरिंग वर्क्स प्रोपराईटर श्री महेन्द्र कोटिया पुत्र श्री हरि लाल कोटिया पर मांग सूचना दिनांक 29.09.2025 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर दिनांक 29.09.2025 को बकाया राशि रू. 73,52,033.95 (रूपये तिहतर लाख बावन हजार तैंतीस एवं पैसे पचानवे मात्र) (दिनांक 29.09.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 04, माह दिसम्बर, वर्ष 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार दिनांक 29.09.2025 को बकाया राशि रू. 73,52,033.95 (रूपये तिहतर लाख बावन हजार तैंतीस एवं पैसे पचानवे मात्र) (दिनांक 29.09.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय हिरण मगरी, सेक्टर-4, 803, कनिष्का, जैन मंदिर के पास, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान-313001 के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि मैसर्स लक्ष्य इंजीनियरिंग वर्क्स प्रोपराईटर श्री महेन्द्र कोटिया पुत्र श्री हरि लाल कोटिया के नाम साम्यिक बंधक औद्योगिक प्लॉट नं. एच1-301 (ए) रीको औद्योगिक क्षेत्र, धोईन्दा, राजसमन्द, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 587 वर्ग मीटर है। सीमाएं- उत्तर: डंपिंग यार्ड, दक्षिण: 18.00 मीटर रोड़, पूर्व: प्लॉट नं. एच1-301, पश्चिम: 18.00 मीटर रोड़

स्थान :राजसमन्द हस्ता.
दिनांक: 04.12.2025 प्राधिकृत अधिकारी

SBI भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

रासमेक, प्लॉट नं. 1, ब्लॉक-सी, प्रथम तल, सेन्ट्रल कॉमर्शियल एरिया, परशुराम चौराहा के पास, उदयपुर, राजस्थान 313001
ई-मेल: sbi.31871@sbi.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8 (1) देखे]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी श्रीमती हसीना बानू कुरैशी पत्नी श्री मोहम्मद छोटू कुरैशी एवं सह-ऋणी श्री मोहम्मद छोटू कुरैशी पुत्र श्री रफीक मोहम्मद कुरैशी एवं जमानतदार श्री मोहम्मद नदीम पुत्र श्री करीम बक्स पर मांग सूचना दिनांक 15.09.2025 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर दिनांक 30.08.2025 को बकाया राशि रू. 1,52,449.13 (रूपये एक लाख बावन हजार चार सौ उनचास एवं पैसे तेरह मात्र) (दिनांक 30.08.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 03, माह दिसम्बर, वर्ष 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उसमे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार भीतर दिनांक 30.08.2025 को बकाया राशि रू. 1,52,449.13 (रूपये एक लाख बावन हजार चार सौ उनचास एवं पैसे तेरह मात्र) (दिनांक 30.08.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, रासमेक, प्लॉट नं. 1, ब्लॉक-सी, प्रथम तल, सेन्ट्रल कॉमर्शियल एरिया, परशुराम चौराहा के पास, उदयपुर, राजस्थान 313001 के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्रीमती हसीना बानू कुरैशी पत्नी श्री मोहम्मद छोटू कुरैशी एवं श्री मोहम्मद छोटू कुरैशी पुत्र श्री रफीक मोहम्मद कुरैशी के नाम साम्यिक बंधक क्वार्टर नं. ईडब्ल्यूएस-1047, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-12, हिरण मगरी, सवीना, उदयपुर, राजस्थान 313001 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 462.60 वर्ग फीट है। सीमाएं- उत्तर: क्वार्टर नं. 1046, दक्षिण: क्वार्टर नं. 1048, पूर्व: रोड़, पश्चिम: क्वार्टर नं. 1052

स्थान: उदयपुर हस्ता.
दिनांक: 03.12.2025 प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय ग्राम पंचायत तिरोल, पंचायत समिति सायरा ,जिला उदयपुर(राज)

क्रमांक:- निविदा/2025-26 दिनांक-1.12.2025

-: ई निविदा सूचना :-

ग्राम पंचायत तिरोल में DMFT योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य " राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिरोल में दो कमरे निर्माण कार्य हेतु UBN No.ZUD2526WSOB02806 के अन्तर्गत ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

प्रशासक
ग्राम पंचायत तिरोल
पं.स. सायरा
जिला-उदयपुर (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत तिरोल
पं.स. सायरा
जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय नगर पालिका मण्डल भीम जिला राजसमन्द

क्रमांक :- न.पा.भी./तामीर/2025-26/994 दिनांक :- 01.12.2025

आपत्ति आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पालिका क्षेत्र में स्थित अपने भूखण्ड में आवासीय भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति/निर्माण नियमितिकरण हेतु प्रार्थना पत्र एवं नक्शा प्रस्तुत किया है जो अवलोकन हेतु कार्यालय में उपलब्ध है। आवेदक के नाम मय पडौस निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम आवेदक	Conversion Order/क्षेत्रफल	पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	श्रीमति मन्जू देवी/ जगदीश सिंह निवासी बदनोर रोड, भीम	खसरा न. 11215/9900 क्षेत्रफल 2652 वर्गफीट आवासीय रूपान्तरण भूमि	भंवरसिंह का मकान	जगदीशसिंह का मकान	आम रास्ता	वन विभाग की भूमि

अतः उपरोक्त भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृति दिये जाने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो अपना आपत्ति पत्र मय प्रमाणित दस्तावेजो के इस सूचना पत्र के प्रकाशित होने के सात दिवस में प्रस्तुत कर दें। अन्यथा बाद अवधि गुजरने के कोई आक्षेप मान्य नही होगा।

राज.संवाद/सी/25/15262 अधिशाषी अधिकारी